

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

राधेश्याम पुत्र भेरूलाल सुवालका निवासी शक्करगढ़

बनाम

रामा पिता बालू रेगर निवासी शक्करगढ़ वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 123/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जी हुक्म की तारीख में जारी हुये
09-04-24	<p>प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम शक्करगढ़ प.ह. शक्करगढ़ आराजी सं. 1615/8 कुल कित्ता 01 रकबा 1.2950 हेक्टेयर भूमि स्थित है अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है </p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय वहस सुनी पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2074 से 2077 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है ग्राम शक्करगढ़ प.ह. शक्करगढ़ आराजी सं. 1615/8 कुल कित्ता 01 रकबा 1.2950 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक शक्करगढ़ को कमीशनर नियुक्त किया जाता है कमीशनर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें </p> <p>आदेश आज दिनांक 09/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया </p>	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/123/2024

दिनांक- 09/04/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.सं. 123 / 2024 अनवान राधेश्याम पुत्र भेरुलाल सुवालका निवासी शक्करगढ़ बनाम रामा पिता बालू रेगर निवासी शक्करगढ़, नारायण पिता प्रभु रेगर निवासी शक्करगढ़, उछुव देवी पत्नी प्रभु रेगर निवासी शक्करगढ़, चंदा पत्नी शंकर लाल ब्राह्मण निवासी शक्करगढ़, मनीष पिता रामेश्वर लाल ब्राह्मण निवासी शक्करगढ़, सुशीला पत्नी रामेश्वर लाल ब्राह्मण देवासी शक्करगढ़, तहसीलदार जहाजपुर की पत्थरगढ़ी की पालना करने बाबत ।

नि:

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम शक्करगढ़ प.ह. शक्करगढ़ आराजी सं. 1615/8 कुल कित्ता 01 रकबा 1:2950 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक शक्करगढ़ को नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे । पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं । पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा